



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042023-245505
CG-DL-E-28042023-245505

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1862]
No. 1862]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2023/वैशाख 7, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2023/VAISAKHA 7, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2023

का.आ. 1950(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (जvi) और (जviii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रजाति प्रजनक अनुज्ञप्ति नियम, 2023 है।
(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है;
(ख) "परिशिष्ट 1" से अनुसूची 4 का परिशिष्ट 1 अभिप्रेत है;
(ग) "आवेदन" से अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन अभिप्रेत है;
(घ) "प्रजनक" से परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध अनुसूचित नमूने के बंदी अवस्था में प्रजनन में लगा हुआ व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ङ) "प्रसुविधा" से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जहां परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध नमूने का बंदी अवस्था में प्रजनन और पादपों का कृत्रिम रूप से वंशवृद्धि की जाती है;
(च) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) “उपयुक्तता प्रमाण पत्र” से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी पशु चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;

(ज) “अनुज्ञप्ति” से नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदनों को भरने की प्रक्रियाएं.-(1) कोई व्यक्ति जो परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध अनुसूचित नमूनों के बंदी अवस्था में प्रजनन या कृत्रिम रूप से वंशवृद्धि में लगा हुआ है वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 (2022 का 18) के प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्ररूप 1 में या तो व्यक्तिगत रूप से या इलैक्ट्रॉनिक रीति के माध्यम से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के मुख्य वन्यजीव वार्डन को संबोधित करते हुए आवेदन कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध अनुसूचित नमूनों का बंदी अवस्था में प्रजनन या कृत्रिम रूप से वंशवृद्धि करना चाहता है या अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराना चाहता है, मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्ररूप 2 में आवेदन करेगा।

4. अनुज्ञप्ति के लिए फीस.- नियम 3 के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से या मुख्य वन्यजीव वार्डन के पक्ष में भारत के किसी बैंक में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, उस स्थान पर देय, जहां मुख्य वन्यजीव वार्डन का कार्यालय स्थित है, पच्चीस हजार रुपये की फीस संलग्न होगी।

5. आवेदनों का रजिस्ट्रीकरण.-(1) मुख्य वन्यजीव वार्डन, उपवन संरक्षक की पंक्ति से अन्यून स्तर के अपने कार्यालय के किसी अधिकारी को आवेदन का पृष्ठांकन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से आवेदन की छानबीन करेगा;

(2) यदि छानबीन पर आवेदन समुचित पाया जाता है, तो वह उसे रजिस्ट्रीकृत करेगा और क्रम संख्या प्रदान करेगा;

(3) यदि छानबीन करने पर आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसे आवेदन, उसकी प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर त्रुटियों की परिशुद्धि करने के लिए और परिशुद्ध आवेदन पुनः प्रस्तुत करने के लिए लौटा दिया जाएगा।

(4) यदि आवेदक उपनियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्रुटि की परिशुद्धि करने में असफल रहता है, तो उप वन संरक्षक मुख्य वन्यजीव वार्डन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और मुख्य वन्यजीव वार्डन आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं आवेदन को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा।

6. आवेदन का सत्यापन.-(1) नियम 5 में यथा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सात दिन के भीतर उस क्षेत्र जिसमें क्षेत्र सत्यापन के लिए प्रसुविधा अवस्थित है, पर अधिकारिता रखने वाले संबद्ध उप वन संरक्षक को आवेदन अग्रेषित करेगा।

(2) उपनियम (1) में यथा निर्दिष्ट संबद्ध उप वन संरक्षक आवेदन का सत्यापन करेगा और विस्तृत जांच संचालित करने के पश्चात् तीस दिन की अवधि के भीतर यथास्थिति वन संरक्षक या मुख्य वन संरक्षक को प्ररूप 3 में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) वन संरक्षक या मुख्य वन संरक्षक, उपनियम (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति पर, उसे ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 3 में अपनी सिफारिशों के साथ मुख्य वन्यजीव वार्डन को अग्रेषित करेगा।

7. अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना.- (1) मुख्य वन्यजीव वार्डन, आवेदन में उल्लिखित तथ्यों और प्ररूप 3 में विनिर्दिष्ट रिपोर्ट की परीक्षा करने पर, यदि-

(क) अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध नमूनों के बंदी अवस्था में प्रजनन या कृत्रिम रूप से वंशवृद्धि से संबंधित अधिवेशन के संकल्पों से संतुष्ट है; और

(ख) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया गया है;

तो रजिस्टर में विवरण की प्रविष्टि अभिलिखित करेगा और प्ररूप 3 में रिपोर्ट की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 4 में आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

(2) अनुज्ञप्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी और यदि नियम 3 उपनियम (2) के अधीन आवेदन किया जाता है तो उसका नवीकरण किया जा सकेगा।

8. अनुज्ञप्ति का रद्द किया जाना.-(1) मुख्य वन्यजीव वार्डन प्ररूप 3 की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति को रद्द करने के लिए आदेश पारित कर सकेगा, यदि,-

(क) अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध नमूनों के बंदी अवस्था में प्रजनन या कृत्रिम रूप से वंशवृद्धि से संबंधित अधिवेशन के संकल्पों से संतुष्ट नहीं है;

(ख) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है; या

(ग) मिथ्या विशिष्टियां प्रस्तुत की गई हैं।

(2) मुख्य वन्यजीव वार्डन, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना अनुज्ञप्ति को रद्द नहीं करेगा।

9. आदेश पर हस्ताक्षर किया जाना और तारीख का डाला जाना.- नियम 7 या नियम 8 के अधीन जारी प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उस पर मुख्य वन्यजीव वार्डन के हस्ताक्षर, तारीख और मुद्रा लगी होगी।

10. अपील.- नियम 8 के अधीन आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति प्ररूप 5 में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

11. पशुओं का रखरखाव.-(1) कोई व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है कृत्रिम रूप से वंशवृद्धि किए गए नमूनों की दशा में पशुओं का अभिलेख रखेगा;

(2) क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला मुख्य वन्यजीव वार्डन या संबद्ध उप वन संरक्षक जब कभी अपेक्षित हो उस व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, से निरीक्षण के लिए अभिलेख मंगा सकेगा।

[फा. सं. डब्ल्यूएल-1/5/2023-डब्ल्यूएल]

बिवाश रंजन, अपर वन महानिदेशक (डब्ल्यूएल)
और निदेशक, वन्य जीव परीक्षण

प्ररूप -I

**अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
(नियम (3) का उपनियम (1) देखें)**

1	क. प्रजनन/कृत्रिम रूप से वंशवृद्धि में लगे हुए आवेदन का नाम					
	ख. आवेदक की आधार संख्या					
2	प्रजनन/कृत्रिम रूप से वंशवृद्धि में लगे हुए आवेदन का पता (सबूत के साथ)					
3	दूरभाष संख्या और मोबाइल संख्या					
4	ई-मेल पता					
5	प्रसुविधा का नाम और पता					
6	(क) वर्तमान में प्रसुविधा पर उपलब्ध जीवजन्तुओं की संख्या					
	(ख) वर्तमान में कृत्रिम रूप से वंशवृद्धि के लिए उपलब्ध पादपों के ब्यौरे					
7	जीवजन्तु/पादप प्रजातियों के ब्यौरे					
	सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (सीआईटीईएस) आयात परमिट संख्या	नमूनों की संख्या	किशोर वयस्क/बाल वृक्ष/वृक्ष	नर/मादा उत्पत्ति का मूल देश

8	पशु चिकित्सा देखरेख सुविधा के ब्यौरे						
9	संगरोध और टीकाकरण सुविधाओं का विवरण						
10	प्रजनन/कृत्रिम रूप से वंशवृद्धि का प्रस्ताव						
11	आयात के लिए डीजीएफटी अनुज्ञप्ति संख्या/अंतरण के अधीन मूल पशु की संदत्त संख्या						
12	मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की पत्र संख्या						
13	अन्य सुसंगत ब्यौरे						

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्ररूप -II

**अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन
(नियम 3 का उपनियम (2) देखें)**

1	क. आवेदन का नाम ख. आधार संख्या					
2	बंदी अवस्था में प्रजनन/कृत्रिम रूप से वंशवृद्धि की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाले स्वामी/पणधारी/व्यक्ति का पता (सबूत के साथ)					
3	दूरभाष संख्या और मोबाइल संख्या					
4	ई-मेल पता					
5	प्रसुविधा का नाम और पता					
6	(क) प्रसुविधा पर उपलब्ध जीवजंतुओं की संख्या (ख) कृत्रिम रूप से वंशवृद्धि के लिए उपलब्ध पादपों के ब्यौरे					
7	जीवजंतु/पादप प्रजातियों के ब्यौरे					
	सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (सीआईटीईएस) आयात परमिट संख्या	नमूनों की संख्या	किशोर वयस्क/बाल वृक्ष/वृक्ष	नर/मादा उत्पत्ति का मूल देश

8	नाम और स्रोत एजेंसी जिससे विदेशी जीवित प्रजातियों का आयात किया जा रहा है						
9	पशु चिकित्सा देखरेख सुविधा के ब्यौरे						
10	संघरोध और टीकाकरण सुविधाओं के ब्यौरे						
11	प्रजनन / कृत्रिम प्रवर्धन का प्रयोजन						
12	आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) अनुज्ञप्ति सं.						
13	पादप प्रतिदर्शों के संग्रहण का स्रोत (भारत के भीतर होने की दशा में)						
14.	पादप प्रतिदर्शों की दशा में, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अध्याय 3 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति						
15.	मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की पत्र सं.						
16.	कोई अन्य सुसंगत ब्यौरे						

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्ररूप-3

जांच रिपोर्ट और सिफारिश
(नियम 6 और नियम 7 देखें)

1.	(क) आवेदक का नाम (ख) आधार संख्या	
2.	आवेदक का पता	
3.	प्रसुविधा का पता	
4.	प्रजातियों के नाम	
	(क) सामान्य नाम	
	(ख) वैज्ञानिक नाम	
5.	नर/मादा	
6.	पशु प्रजातियों के प्रजनन/कृत्रिम संवर्धन का प्रयोजन	
7.	संतति की संख्या (पशुओं की दशा में)	
8.	संघरोध प्रसुविधा की उपलब्धता	
9.	कृत्रिम संवर्धन के लिए पलब्ध प्रसुविधाओं के ब्यौरे (पादपों की दशा में)	
10.	पशु चिकित्सा देखभाल प्रसुविधाओं की उपलब्धता	

यह अनुज्ञप्ति इसे जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए वैध होगी।

जारी करने का स्थान :

जारी करने की तारीख :

हस्ताक्षर:

पूरा नाम :.....

पदनाम :.....

शासकीय मोहर

प्ररूप 5

अपील के लिए प्ररूप
(नियम 10 देखें)

सेवा में,

राज्य सरकार

1	आवेदक का नाम	
2	आवेदक का पता	
3	आवेदक की दूरभाष सं. और मोबाइल सं.	
4	ई-मेल पता	
5	प्रसुविधा का नाम और पता	
6	अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख	
7	वह पता जिसको आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा प्रस्तुत करने का ढंग	
8	अनुज्ञप्ति संख्या, यदि जारी की गई हो	
9	(क) क्या आवेदक ने सुनवाई के लिए नोटिस प्राप्त किया है	
9	(ख) यदि हां तो सुनवाई नोटिस प्राप्त करने की तारीख	
10	सुनवाई के दौरान मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा लिया गया निर्णय	
11	मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुज्ञप्ति निरस्त करने या अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इन्कार करने के कारण	
12	आवेदक द्वारा अपील करने के लिए दिया गया औचित्य	
13	आवेदक द्वारा औचित्य का समर्थन करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य	
14	कोई अन्य ब्यौरे जो आवेदक प्रस्तुत करने की वांछा करता है	

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2023

S.O. 1950(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (jvi) and (jviii) of sub-section (1) of Section 63 of the WildLife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Breeders of Species Licence Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definition.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - a. “Act” means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
 - b. “Appendix I” means Appendix I to the Schedule IV;
 - c. “Application” means the application for obtaining Licence under the Act;
 - d. “Breeder” means a person engaged in breeding in captivity of the Scheduled specimen listed in Appendix I;
 - e. “Facility” means any establishment where captive breeding of animals and artificial propagation of plants listed in Appendix I;
 - f. “Form” means the Form annexed to these rules;
 - g. “Fitness certificate” means a certificate granted by a veterinary doctor registered with the Veterinary Council of India established under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).
 - h. “Licence” means a Licence granted under sub-rule (1) of rule 7

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.
3. **Procedures for filing of applications for Licence.**— (1) Any person who is engaged in breeding in captivity or artificially propagating a scheduled specimen listed in Appendix I shall, within a period of ninety days of the commencement of the Wild Life (Protection) Amendment Act, 2022 (18 of 2022), make an application to the Chief Wild Life Warden in Form I either in person or through electronic mode or through registered post addressed to the Chief Wild Life Warden of the concerned State or the Union territory.
(2) Any person who intends to engage in breeding in captivity or artificially propagating a scheduled specimen listed in Appendix I or renewal of Licence shall make an application to the Chief Wild Life Warden in Form II.
4. **Fees for Licence.**— Every application made under rule 3 shall be accompanied with a fee of twenty-five thousand rupees through electronic mode or in the form of Demand Draft drawn on any bank in India in favour of the Chief Wild Life Warden payable at the place where the office of Chief Wild Life Warden is situated.
5. **Registration of applications .-** (1) The Chief Wild Life Warden may authorise an officer in his office not below the rank of Deputy Conservator of Forests to endorse the application, and on receipt of the application the authorised officer shall scrutinize the application as expeditiously as possible;
(2) If on scrutiny, the application is found to be in order, it shall be registered and given serial number;
(3) If the application on scrutiny is found to be defective, the same shall be returned to the applicant for rectifying the defects and resubmitting the corrected application within fifteen days from the date of its receipt;
(4) If the applicant fails to rectify the defect within the period specified under sub-rule (3), the Deputy Conservator of Forests shall submit report to the Chief Wild Life Warden and the Chief Wild Life Warden may, by order and for the reasons to be recorded in writing, decline to register the application.
6. **Verification of application .-** (1) The authorised officer, as referred to in rule 5 shall within seven days from the date of receipt of application forward the application to the concerned Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area in which the facility is located for field verification.
(2) The concerned Deputy Conservator of Forests, as referred to in sub-rule (1) shall verify the application and after conducting detailed inquiry submit report in Form III within a period of thirty days to the Conservator of Forests or Chief Conservator of Forests, as the case may be.

- (3) The Conservator of Forests or Chief Conservator of Forests on receipt of report referred to in sub-rule (2) shall forward it along with his recommendation in Form III to the Chief Wild Life Warden within a period of fifteen days from the date of receipt of such report.
7. Grant of Licence.- (1) On examination of the facts mentioned in the application and report specified in Form III, the Chief Wild Life Warden shall, if,-
- (a) the resolutions of the Convention relating to breeding in captivity or artificial propagation of species listed in Appendix I of Schedule IV are satisfied; and
- (b) the provisions of the Act and rules made thereunder have been complied with;
- record an entry of the statement in a register and grant the Licence to the applicant in Form IV within a period of thirty days from the receipt of report in Form III.
- (2) The Licence shall be issued for a period of two years and may be renewed on application, if made under sub-rule (2) of rule 3.
8. Cancellation of Licence.- (1) The Chief Wild Life Warden may, after considering the recommendation in Form III pass order for cancellation of Licence, if,-
- (a) the resolutions of the Convention relating to breeding in captivity or artificial propagation of species listed in Appendix I of Schedule IV are not satisfied;
- (b) the provisions of the Act and rules made thereunder have not been complied with; or
- (c) a false particular is furnished.
- (2) The Chief Wild Life Warden shall not cancel the Licence without giving the applicant an opportunity of being heard.
9. Order to be signed and dated.- Every order issued under rule 7 or 8 shall be in writing and shall bear the signature, date and seal of Chief Wild Life Warden.
10. Appeal.- Any person aggrieved by order under rule 8 may prefer an appeal to the State Government through registered post as specified in Form V.
11. Maintenance of stock.- (1) Every person to whom a Licence under these rules has been granted shall maintain record of stock in case of artificially propagated specimen;
- (2) The Chief Wild Life Warden or the concerned Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area as and when required, may call for record for inspection from the person to whom the Licence has been granted.

[F. No. WL-1/5/2023-WL]

BIVASH RANJAN, Addl. Director General of Forests (WL)
& Director, Wild Life Preservation**Form –I****Application for Licence****(See sub-rule (1) of rule 3)**

1	a. Name of the applicant engaged in breeding/artificial propagation b. Aadhar Number of the applicant	
2	Address of the person engaged in breeding/artificial propagation (Along with proof)	
3	Phone Number and mobile number	
4	email-id	
5	Name and Address of facility	
6	(a) Number of animals presently available in the facility	
	(b) Details of plants presently available for artificial propagation	

7	Details of the animal/plant species						
	Common Name	Scientific name	Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES) import permit number	Number of specimens	Juvenile/Adult/sapling/tree	Male/Female	Country State of Origin
8	Details of Veterinary care facility						
9	Details of Quarantine & immunization facilities						
10	Purpose of Breeding/artificial propagation						
11	DGFT license Number for import / Reference no. of original stock under transfer						
12	Letter number of No Objection Certificate (NOC) issued by the Chief Wild Life Warden						
13	Any other relevant details						

Name & Signature

Date:

Place:

Form -II**Application for Licence/Renewal of Licence**

(See sub-rule (2) of rule 3)

1	a. Name of the applicant b. Aadhar number	
2	Address of the Owner/stockholder/person applying for licence for captive breeding/artificial propagation (With proof)	
3	Phone Number and mobile number	
4	email-id	
5	Name and Address of facility	

6	(a) Number of animals proposed to be kept in the facility						
	(b) Details of plants proposed for artificial propagation						
7	Details of the animal/plant species						
	Common Name	Scientific name	Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES) import permit number	Number of specimens	Juvenile/Adult/sapling/tree	Male/Female	Country State of Origin
8	Name and source agency from which exotic live species being imported						
9	Details of Veterinary care facility						
10	Details of Quarantine & immunization facilities						
11	Purpose of Breeding/artificial propagation						
12	Directorate General of Foreign Trade (DGFT) license Number for import						
13	Source of collection of plant specimens (in case within India)						
14	Licence granted under Chapter III of Wild Life (Protection) Act, 1972, in case of Plant specimens						
15	Letter number of No Objection Certificate (NOC) issued by the Chief Wild Life Warden						
16	Any other relevant details						

Name & Signature

Date:

Place:

Form-III**Inquiry Report and Recommendation**

(See rule 6 and rule 7)

1.	(a) Name of applicant (b) Aadhar number	
2.	Address of applicant	
3.	Address of Facility	
4.	Name of the Species	
	(a) Common name	
	(b) Scientific Name	
5.	Male/Female	
6.	Purpose of breeding of animal species/ artificial propagation	
7.	Number of Progeny (<i>in case of animals</i>)	
8.	Availability of quarantine facility	
9.	Details of facilities available for artificial propagation (in case of plants)	
10.	Availability of Veterinary care facilities	
	(a) Availability of service of Veterinary Doctor	
	(b) On site Veterinary hospital	
	(c) Facilities available in on site veterinary hospital (<i>eg, X-Ray, Operation theatre, surgical room, wards, pathological lab, etc.</i>)	
	(d) In case no on site veterinary hospital, then distance from the facility to nearest veterinary hospital	
	(e) Vehicle/animal ambulances for transporting animals requiring veterinary care	
11.	Availability of nursery for hand-rearing of animal young ones	
12.	Availability of safety equipments (for fire, disease outbreak, flood, other natural calamities, etc.)	
13.	Presence of railway line, highways, industries (small scale, medium scale, large scale) with five hundred meters radius of the facility	
14.	Presence of Protected Areas /Zoos /Rescue Centres with five hundred meters radius of the facility	
15.	Recommendation of the Deputy Conservator of Forests	
16.	Recommendation of the Conservator of Forests/Conservator of Forests	

Signature and Seal

Name and designation of the authorised signatory

Date:

Form IV**Licence for breeders**

(See sub-rule (1) of rule 7)

I, Mr./Mrs/Ms....., the Chief Wildlife Warden of (name of the State/Union territory) with the powers vested with me under sub-section (1) of Section 49-O, do hereby grant the Licence to Mr./Mrs./Ms....., son/daughter of/wife/husband of Mr./Mrs..... of..... (address as per the application) with

Adhaar number..... (as mentioned in the application Form) for carrying out breeding of the following scheduled specimen listed in Appendix –I of Schedule IV of the Wild Life (Protection) Act, 1972:

S.No.	Common Name	Scientific name	Country/ State of Origin

This Licence shall be valid for a period not more than two years from the date of its issuance.

Place of issuance:

Date of issuance:

Signature:

Full name:.....

Designation:.....

official seal

Form V

Proforma for an Appeal

(See rule 10)

To

The State Government

1	Name of the applicant	
2	Address of the applicant	
3	Phone number and mobile number of applicant	
4	E-mail ID	
5	Name and address of the facility	
6	Date of submission of application for Licence	
7	Address to which the application was submitted and mode of submission	
8	Licence number, if issued	
9	(a) Whether the applicant has received notice for hearing	
9	(b) If yes, date of receipt of hearing notice	
10	Decision taken by the Chief Wild Life Warden uring the hearing	
11	Reasons for cancellation of licence or refusal for grant of licence by the Chief Wild Life Warden	
12	Justification by the applicant for preferring an appeal	
13	Documentary evidences for supporting the justification by the applicant	
14	Any other details that the applicant desires to submit	

Signature of applicant

Date:

Place